"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2002—श्रावण 9, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2002

अधिसूचना

क्रमांक 4996/डी-1609/21-ब/छ.ग./2002.—स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से राज्य सरकार एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-6/89/21-ब (1), दिनांक 6-7-1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक 1-6/89/21-ब (1), दिनांक 6-7-1999 के अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों के स्थान पर उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारी को कॉलम (4) में उल्लिखित जिले में पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

अनु. क्र. (1)	विद्यमान पीठासीन अधिकारी का नाम (2)	पदस्थ न्यायिक अधिकारी का नाम (3)	जिले का नाम (4)
1.	श्रीमती रानू दिवेकर	श्री संदीप बक्शी	रायपुर

Raipur, the 27th July 2002

NOTIFICATION

No.4996/D-1609/21-B/Chh./2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotics Drug and Psychotropic substances Act ,1985 (No. 61 of 1985) and with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby makes the following amendment in Madhya Pradesh, Law & Legislative Affairs Department's Notification No. 1-6/89/21-B (1), dated 6-7-1999.

AMENDMENT

In the Notification No. 1-6/89/21-B (1), dated 6-7-99 for the officer mentioned in column (2) of the Schedule below the officer mentioned in column (4) of the said Schedule, namely :—

S. No. (1)	Name of the existing Presiding Officer (2)	Name of the Newly Posted Officer (3)	Name of the District (4)
1.	Smt. Ranoo Divekar	Shri Sandeep Buxi	Raipur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानू दिवेकर, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.